प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 174/2023
अनवान : –

1. महावीर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. पृथ्वीसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. चंदर कला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. सीता पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. संतरो देवी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **वादी**

निर्णय **दिनांक: 18.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 510/477 की कुल 6.3250 में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 509/476 की कुल 9. 8670 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादा मनफुल उर्फ फुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है एवं बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादी अपाना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 जो की वादी [illegible] वादी स0 2 की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि [illegible] चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी [illegible] बाद हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

त्याग वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 खातेदार काश्तकार है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में फोटोप्रति जमाबंदी रोही मौजा 11 बारानी खाता स0 510/477, रोही मौजा 11 जीजीएम खाता स0 99/98, रोही मौजा 11 बारानी खाता स0 509/476, प्रमाणित प्रति नामान्तरण स0 1888 रोही मौजा 11 बारानी, नामान्तरण स0 1835 रोही मौज 11 बारानी, नामान्तरण स0 484 रोही मौजा 11 जीजीएम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादी के पिता यानि की प्रतिवादी स0 1 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवपाने के कानूनी अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 510/477 की कुल 6.3250 में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 509/476 की कुल 9. 8670 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी [illegible] स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:17 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 509/476 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 510/477 की कुल 6.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 174/2023
अनवान : –

1. महावीर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. पृथ्वीसिंह पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. चंदर कला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. सीता पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. संतरो देवी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 174 सन 2023 दिनांक 18.05.20232

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 99/98 की कुल 10.8790 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा तथा रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 509/476 की कुल 9.8670 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 510/477 की कुल 6.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 18/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:17 IST
Reason: SelfAttested